हैदराबाद में 17 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित
प्राधिकरण की 112वीं बैठक के कार्यवृत्त

MINUTES OF THE 112th MEETING OF THE AUTHORITY

held on 17th March, 2021 at 11 AM at Hyderabad

उपस्थित/Present:

अध्यक्ष/Chairman	डॉ. सुभाष सी. खुंटिया/Dr. Subhash C. Khuntia
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्रीमती टी.एल.अलमेलु/Smt. T L Alamelu
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्री के. गणेश/Shri K Ganesh
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्री प्रमोद कुमार अरोडा/Shri Parmod Kumar Arora
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्रीमती एस.एन.राजेश्वरी/Smt. S N Rajeswari
अंशकालिक सदस्य/Part-time Member	श्रीमती सुषमा नाथ (बीसी के माध्यम से) /Smt. Sushama Nath (through VC)
अंशकालिक सदस्य/Part-time Member	श्री देवाशीश पंडा (वीसी के माध्यम से) / Shri Debasish Panda (through VC)
अंशकालिक सदस्य/Part-time Member	श्री निहार एन. जांबुसरिया (वीसी के माध्यम से) /Shri Nihar N Jambusaria (through VC)

भी उपस्थित/**Also present:**

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	श्री सुरेश माथुर, कार्यकारी निदेशक/ Shri Suresh Mathur, Executive Director

अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने श्री प्रमोद कुमार अरोडा, सदस्य (बीमांकिक), श्रीमती एस.एन. राजेश्वरी, सदस्य (वितरण) और श्री निहार एन. जम्बुसरिया, अध्यक्ष, आईसीएआई, जो सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद, पहली बार बैठक में भाग ले रहे थे का विशेष रूप से स्वागत किया। उन्होंने श्री प्रवीण कुटुंबे, पूर्व सदस्य (एफएण्डआई) और श्री अतुल कुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा प्राधिकरण की मंत्रणा में किये गये मूल्यवान योगदानों को रिकॉर्ड किया।

The Chairman extended a warm welcome to the Members present. He specially welcomed Shri Parmod Kumar Arora, Member (Actuary), Smt. S N Rajeshwari, Member (Distribution), and Shri Nihar N Jambusaria, President, ICAI who were attending the meeting for the first time after their appointment as Members. He also placed on record the valuable contributions made to the deliberations of the Authority by Shri Pravin Kutumbe, former Member (F&I), and Shri Atul Kumar Gupta, former President, ICAI. The quorum was present.

हैदराबाद में 17 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित
प्राधिकरण की 112वीं बैठक के कार्यवृत्त

कार्यसूची की मदों को विचार के लिये लिया गया।
The agenda items were then taken up for consideration.

4. अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गयी विदेश यात्राओं का 1 दिसंबर, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक की अवधि के लिए विवरण।
4. Statement of foreign tours undertaken by the Chairman and Members for the period from 1st December, 2020 to 28th February, 2021

प्राधिकरण द्वारा विवरण नोट किया गया।
The statement was noted by the Authority.

5.1 दिसंबर, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक जारी किये गये परिपत्रों/दिशा-निर्देशों की सूची।
5. List of circulars/guidelines issued from 1st December, 2020 to 28th February, 2021

प्राधिकरण ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी, 2021 तक जारी किये गये परिपत्रों/दिशा-निर्देशों की सूची को नोट किया।
The Authority noted the circulars/guidelines issued from 1st December to 28th February, 2021.

7. प्रारूप आईआरडीएआई (विनियामक सैण्डबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021
7. Draft IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021

7.1यह निवेदन किया गया कि आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) विनियम, 2019 26 जुलाई, 2019 को अधिसूचित किया गया और 2 वर्षों अर्थात् 25 जुलाई, 2021 तक वैध है। चूँकि अधिकतर सैण्डबॉक्स प्रस्तावों का कोविड-19 के कारण पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया जा सका, यह प्रस्ताव किया गया कि विनियमों की वैधता को 2 और वर्षों तक बढाया जाय, और ऐसी कार्रवाई की सिफारिश बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा 25 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी 43वीं बैठक में की गयी थी।

7.1 It was submitted that the IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019 was notified on 26th July, 2019 and is valid for a period of 2 years, i.e. up to 25th July, 2021. As most of the sandbox proposals could not be tested completely due to COVID-19, it has been proposed to extend the validity of the Regulations by 2 more years, and such course of action has been recommended by the Insurance Advisory Committee (IAC) in its 43rd meeting held on 25th February, 2021.

7.2 विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

7.2 After consideration, the Authority approved the agenda item.

8. प्रारूप आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण विनियम, 2021

8. Draft IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021

8.114 अक्तूबर, 2020 को आयोजित प्राधिकरण की 110वीं बैठक में, प्रारूप (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021 को जनता और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए आईआरडीएआई के वेबसाइट पर रखने के लिए प्राधिकरण से अनुमोदन ले लिया गया था। तदुपरांत, प्रारूप विनियम आईएसी के सम्मुख, 25 फरवरी, 2021 को आयोजित उसकी 43वीं बैठक में रखे गये और समिति ने उसको प्राधिकरण के सम्मुख रखने की अनुशंसा की।

8.1 Approval of the Authority was taken in its 110th meeting held on 14th October, 2020 for placing the draft IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021 on IRDAI website for public and stakeholder's comments. Subsequently, the draft regulations were placed before the IAC in its 43rd meeting held on 25th February, 2021 and the Committee recommended to place the same before the Authority.

8.2विचार-विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण ने कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

8.2 After discussion, the Authority approved the agenda item.

11. प्रारूप आईआरडीएआई (एकीकरण पर शेयरधारकों या सदस्यों को मुआवजे के आकलन का तरीका) विनियम, 2021

11. Draft IRDAI (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021

11.1 14 अक्तूबर, 2020 को आयोजित प्राधिकरण की 110वीं बैठक में प्रारूप आईआरडीएआई (एकीकरण पर शेयरधारकों या सदस्यों को मुआवजे के आकलन का तरीका) विनियम, 2021 को जनता और हितधारकों की टिप्पणियों के लिये आईआरडीएआई के वेबसाइट पर रखने के लिए प्राधिकरण से अनुमोदन ले लिया गया था। तदुपरांत प्रारूप विनियम आईएसी के सम्मुख, 25 फरवरी, 2021 को आयोजित उसकी 43वीं बैठक में रखे गये और समिति ने उसको प्राधिकरण के सम्मुख रखने की अनुशंसा की।

11.1 Approval of the Authority was taken in its 110th meeting held on 14th October, 2020 for placing the draft IRDAI (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021 for public and stakeholder's comments. Subsequently, the draft Regulations were placed before IAC in its 43rd meeting held on 25th February, 2021 and the Committee recommended to place the same before the Authority.

11.2 विचार-विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण ने कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

11.2 After discussion, the Authority approved the agenda item.

12.प्रारूप आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021.

12. Draft IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) (First Amendment) Regulations, 2021

12.1 (i) (बीमा कंपनियों के वित्तीय रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 में संशोधन करने के लिये (ii) प्रारूप को जनता और हितधारकों की टिप्पणियों के लिये आईआरडीएआई वेबसाइट पर रखने के लिये 16 दिसंबर, 2020 को आयोजित उसकी बैठक में प्राधिकरण का अनुमोदन लिया गया। तदुपरांत, प्रारूप विनियम आईएसी की 25 फरवरी, 2021 को आयोजित 43वीं बैठक में उसके सम्मुख रखे गये और समिति ने प्रारूप को, प्राधिकरण के सम्मुख रखने की अनुशंसा की।

12.1 Approval of the Authority was taken in its 111th meeting held on 16th December, 2020 (i) for carrying out the amendment to (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) (First Amendment) Regulations, 2021, and (ii) for placing the draft on IRDAI website for public and stakeholder's comments. Subsequently, the draft regulations were placed before the IAC in its 43rd meeting held on 25th February, 2021 and the Committee recommended to place the same before the Authority.

12.2 चर्चा के उपरांत प्राधिकरण ने कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

12.2 After discussion, the Authority approved the agenda item.

22.वेतनमान 2016 का संशोधन-विशेष भत्ते में कटौति

22. Revision of Pay Scales 2016- Reduction in Special Allowance

22.1प्राधिकरण की 24 अक्तूबर, 2016 को हुयी 94वीं बैठक में अनुमोदन के लिये रखी गयी कार्यसूची में यह प्रस्ताव किया गया कि वेतन संशोधन के बाद आईआरडीएआई की सेवा में श्रेणियों `ए' और `बी' में भरती होने वाले नये प्रत्याशियों के लिये विशेष भत्ते (एसए) संशोधित सीमाओं की @ 25% लागू की जाए। इस पर प्राधिकरण ने सेबी में `ए' और `बी' श्रेणियों के लिए ऐसी कटौति का औचित्य जानना चाहा। प्राधिकरण की 3 मार्च, 2017 को आयोजित 96वीं बैठक में यह कहते हुये एक एटीआर पेश किया कि विशेष भत्ते में कटौति का औचित्य उसका भारतीय रिजर्व के साथ सामंजस्य करना है।

22.1 In the agenda submitted for approval of pay revision in the 94th Authority meeting held on 24th October, 2016, it was proposed that special allowance (SA) @ 25% of the revised limits be applied to new candidates who will join the services of IRDAI in the grades 'A' and 'B' after the pay revision. On this, the Authority sought to find out the rationale for such a reduction for 'A' and 'B' grades in SEBI. An ATR was furnished in the 96th Authority meeting held on 3rd March, 2017, stating that the rationale for reduction in SA was to align the same with RBI.

22.2 31 अक्तूबर, 2016 को वेतन संशोधन के बाद से 41 कर्मचारी, अधिकारियों के रूप में सीधे भरती हुये। ऐसी नयी भर्तियों के लिये वेतन मान निर्धारित करते समय विशेष भत्ते के 100 प्रतिशत की अनुमति दी गयी। यह एक असावधानी में की गयी चूक प्रतीत होती है क्योंकि नयी सीधी भर्तियों को देयविशेष भत्ते के संबंध में प्राधिकरण की कोई विशिष्ट स्वीकृति नहीं थी। आईरडीएआई ने सेबी के वेतन मान से

यथासंभव सामंजस्य स्थापित करता है और सेबी द्वारा श्रेणी `ए' और `बी' में नयी भर्तियों को, संभवतः उनके पूर्व अनुभव में कमी के कारण विशेष भत्ते का 25 प्रतिशत दिया जाता है।

22.2 Since the pay revision on 31st October, 2016, 41 employees have joined through direct recruitment as officers. While fixing the pay scale for such new recruits, 100% of SA was allowed. This appears to be an inadvertent omission as there was no specific approval of the Authority with regard to the special allowance payable to new direct recruits. IRDAI aligns the pay structure, to the extent possible, with that of SEBI and 25% of SA is paid to fresh recruits in Grades 'A' and 'B' by SEBI possibly due to their lack of previous experience.

22.3इसकी रौशनी में, यह प्रस्ताव किया गया कि (i)श्रेणी `ए' में सीधी भरती किये गये अधिकारियों के लिये उसी श्रेणी में अन्य कर्मचारियों को देय का 25 प्रतिशत विशेष भत्ता निर्धारित किया जाए और भविष्य में श्रेणी `ए' में भरती किये जाने वाले अधिकारियों के लिए इसको प्रत्याशित प्रभाव से लागू किया जाय, और (ii) वेतन संशोधन के पश्चात् सीधे भरती किये गये 41 अधिकारियों का विशेष भत्ता उसी श्रेणी में अन्य कर्मचारियों के लिए लागू दर के 100 प्रतिशत पर जारी रखा जाय, क्योंकि वे पहले से ऐसा विशेष भत्ता लेते रहे हैं।

22.3 In the light of the same, it was proposed (i) to fix special allowance of directly recruited officers in Grade 'A' at 25% of that payable to other employees in the same grade and to make it applicable prospectively to officers in grade 'A' to be recruited directly in future, and (ii) to continue special allowance of 41 officers directly recruited after the pay revision at 100% of the rate applicable to other employees in the same grade, as they have been already drawing such special allowance.

22.4 उचित विचार-विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण ने कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।

22.4 After due deliberations, the Authority approved the agenda item.

23.सेवा निवृत्ति निधि योजना (संशोधन)

23. Superannuation Fund Scheme (Modifications)

23.1प्राधिकरण ने 3 मार्च, 2017 को आयोजित अपनी 96वीं बैठक में सेवानिवृत्ति निधि योजना में अंशदान को चरणबद्धरूप से घटाने के साथ 1.04.2023 से कोई अंशदान न करने का निर्णय लिया था और योजना 1.4.2023 से केवल कर्मचारी के अंशदान से जारी रहेगी। तत्पश्चात् यह पाया गया कि आयकर प्राधिकारियों के अनुमोदन की शर्त के साथ कर्मचारी द्वारा गैर-योगदान की स्थिति में भिन्नता थी। इसलिए, प्रस्ताव किया गया (i) नियोक्ता के अंशदान के रूप में योजना में 1 अप्रैल, 2023 से प्रतिवर्ष रु. 1000/- का अंशदान किया जाय और यह भी कि (ii) योजना को केवल वर्तमान सदस्यों के साथ चलाया जाय और किसी नये सदस्य को अनुमति नहीं दी जाय ताकि योजना को समाप्त होने दिया जा सके।

23.1 The Authority in its 96th meeting held on 3rd March 2017 had taken a decision to reduce the contribution to Superannuation Fund Scheme in a phased manner with no contribution to be made from 1.4.2023 and the scheme shall continue with only employees' contribution from 1.4.2023. Subsequently, it was found that the condition of non-contribution by the employer was at variance with the condition of approval from the Income Tax Authorities. Therefore, it was proposed (i) to contribute Rs.1000 per annum from 1st April, 2023 as employer's contribution to the scheme, and also (ii) to allow the

scheme to run with existing members only, and not to allow any new member, so as to facilitate run-off of the scheme.

23.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची मद को स्वीकृति प्रदान की।
23.2 The Authority approved the agenda item.

30. कुछ जोखिमों के लिए अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क (टैरिफ), 2001 की अधिसूचना रद्द करना और आवास, सूक्ष्म और लघु व्यापार नये उत्पाद संरचना का प्रस्ताव लाना।

30. De-Notification of All India Fire Tariff (AIFT), 2001 for certain risks and introduction of new product structure for dwellings, micro and small businesses

30.1 प्राधिकरण ने 12 जून, 2020 को आयोजित अपनी 108वीं बैठक में भूतपूर्व अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क (टैरिफ) (एआईएफटी), 2001 की अधिसूचना को रद्द करने और आवास, सूक्ष्म और लघु व्यापार हेतु नये प्रस्ताव लाने का अनुमोदन किया। तदनुसार, 28 दिसंबर, 2020 को एआईएफटी की अधिसूचना को रद्द किया गया। इसके साथ ही अग्नि और संबद्ध खतरों को कवर करने के लिए नये मानक उत्पादों अर्थात् भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्योग सुरक्षा की शुरुआत करने के लिये 4 जनवरी, 201 को दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।
30.1 The Authority in its 108th meeting held on 12th June, 2020 approved the de-notification of erstwhile all India fire tariff (AIFT), 2001 for certain risks and introduction of new standard products for dwellings, micro and small businesses. Accordingly, de-notification of AIFT was issued on 28th December 2020. Further, guidelines were issued on 4th January, 2021 for introducing new standard products i.e., Bharat Griha Raksha, Bharat Sookshma Udyam Suraksha, and Bharat Laghu Udyam Suraksha for covering fire and allied perils.

30.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची मद को नोट किया।

30.2 The Authority noted the agenda item.

31.आईआरडीएआई के 20 वर्ष पूरे होने पर संस्मारिका-ग्रंथ लिखने का कार्य सुश्री के. नित्या कल्याणी को सौंपना।

31. Engaging Ms. K. Nitya Kalyani to write the commemorative volume on completion of 20 years of IRDAI

31.1जबकि, बीमा विनियामक प्राधिकरण (आईआरए) का गठन 1996 में किया गया था, आईआरडीए 2000 में अस्तित्व में आया। आईआरडीएआई का इतिहास संकलित करने के आईआरडीएआई के स्थापना दिवस के अवसर पर एक `संस्मारिका-ग्रंथ' जारी करने का प्रस्ताव किया गया था। यह निवेदन किया गया कि ग्रंथ प्रकाशित करने के लिए इस क्षेत्र के अच्छे जानकार और लेखन कौशल में निष्णात विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। यह पता लगाने के बाद कि सुश्री के. नित्या कल्याणी को, जो आईआरडीएआई पत्रिका की संपादिका रह चुकी हैं और वर्तमान में एक व्यापार पत्रकार हैं और न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और जीआईसी री, के लिये काफी टेबल पुस्तिका लिख चुकी हैं, क्रय समिति ने दिनांकित 10.03.2021 और 10.03.2021 को अपनी बैठकों में आठ लाख तथा प्रयोज्य करों के पारिश्रमिक पर आईआरडीएआई स्मारिका-ग्रंथ लिखने के लिये नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

31.1 While Insurance Regulatory Authority (IRA) was formed in 1996, IRDA came into existence in 2000. To capture the history of IRDAI a commemorative volume was proposed for release around the foundation day of IRDAI. It was submitted that there would be requirement of an expert having domain knowledge and good writing skills to bring out the volume. After ascertaining that Ms. K. Nitya Kalyani, who was previously the editor of IRDAI Journal and presently, a Business Journalist, has written the Coffee Table Books for New India Assurance Company Ltd. and GIC Re, the Purchase Committee, has recommended in its meetings dated 10.03.2021 and 11.03.2021 to engage Ms. K. Nitya Kalyani to write the IRDAI Commemorative Volume for a remuneration of Rs. 8 lakh plus applicable taxes.

31.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।
31.2 The Authority approved the agenda item.

32. आर्थिक और पालिसी विश्लेषण और अनुसंधान विभाग का सृजन।
32. Creation of Department of Economic and Policy Analysis and Research

32.1 यह निवेदन किया गया कि 10 अक्तूबर, 2020 को आयोजित प्राधिकरण की 110वीं बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि विभिन्न गतिविधियों अर्थात्, (i) बीमा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले बृहत्-आर्थिक मुद्दों के संबंध में विश्लेषणात्मक नोट तैयार करना (ii) बीमा क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में क्षेत्र के विभागों से प्राप्त निविष्टियों के आधार पर अनुसंधान अध्ययन करना (iii) निरंतर आधार पर बीमा उद्योग के लिए गतिशील महत्व के मुद्दों की पहचान करना और पालिसियों का विकास करने और विनियामक ढाँचे को यथोचित रूप से संशोधित करने।
32.1 It was submitted that in the 110th meeting of the Authority held on 14th October 2020, it was suggested to form a separate Economic Analysis and Research and Development wing in IRDAI for various activities i.e., (i) preparation of analytical notes on a periodical basis on macro-economic issues impacting the insurance sector. (ii) to take up research studies based on inputs from line departments on various issues of importance to the insurance sector. (iii) to identify issues of dynamic importance for the insurance industry on an on-going basis and in developing policies and amending regulatory framework appropriately.

32.2उचित विचार-विमर्श के पश्चात् प्राधिकरण ने 3 अधिकारियों के साथ लचीले वेतनमानों पर प्रतिनियुक्ति या निश्चित कार्यकाल के अनुबंध या आंतरिक व्यवस्था के आधार पर पृथक आर्थिक-पालिसी विश्लेषण एवं अनुसंधान विभाग के सृजन के लिए कार्यसूची मद का अनुमोदन किया।
32.2 After due deliberations, the Authority approved the agenda item to create a separate Department of Economic & Policy Analysis and Research with 3 officers on flexible scales to be taken on deputation or fixed term contract or internal arrangement.

बैठक, सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन के साथ समाप्त हुयी।
The meeting ended with a vote of thanks to all Members.

अध्यक्ष/CHAIRMAN